न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

प्रथम लिंक पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

223RTA2024-069(GCMS2024-171)

सांवरलाल पुत्र सुखाराम जाट
निवासी डांगियावास, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. श्रीराम सिंह प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओ.एस.एस. कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
   कम्पनी कार्यालय ग्राम थबुकडा,
   तहसील व जिला जोधपुर
2. परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यन्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पता-188 उम्मेद हेरिटेज जोधपुर
3. तहसीलदार जोधपुर तहसील कार्यालय कचहरी परिसर जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 27 मार्च 2024 राजस्व वाद संख्या 459/2023 अनवान सांवरलाल बनाम श्रीरामसिंह व अन्य

--- 0 ---

उपस्थित -

- श्री बाबूलाल गोरा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
- श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
- श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3

नि र्ण य

दिनांक : 16 जुलाई 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 459/2023 अनवान सांवरलाल बनाम श्रीरामसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं दिनांक 27 मार्च 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 मई 2024 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र डिकी पर्चा प्रस्तुत करने हेतु छूट प्रदान किये जाने बाबत प्रस्तुत किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम डांगियावास स्थित आराजी खसरा संख्या 75 रकबा 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी व खसरा संख्या 76 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांसी कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 05 बिस्वांसी बाबत प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि

वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट द्वारा विधिवत पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये कयशुदा भूमि है जिसका अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

पूर्व खातेदार शिखरचंद पुत्र खिंवराज जैन की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 17 बिस्वा में से 16 बिस्वा में से 05 बिस्वा 03 बिस्वांसी भूमि अवाप्त किये जाने के बाद बकाया बची भूमि 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2022 को कय कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया। इसी प्रकार पूर्व खातेदार सूरज जैन पुत्र शिखरचंद जैन की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 76 रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा में से 33 बीघा 11 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि अवाप्त किये जाने के बाद बकाया बची 01 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांसी भूमि भी अपीलाण्ट द्वारा जरिये विधिवत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 19 जनवरी 2022 को कय कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में जरिये म्युटेशन अपीलाण्ट अपनी उक्त कयसुदा भूमि बाबत खातेदार दर्ज हुआ और वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खरीद से आदिनांक तक मौके पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा भूमि अवाप्ति की आड में अपीलाण्ट की कयशुदा खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में दखल किये जाने पर विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो की ओर से जबाबदावा भी प्रस्तुत किया गया। मगर विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब दावे के आधार पर विधिवत तनकियात कायम नहीं की गयी और न ही निर्धारित प्रकिया पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही तनकीवार साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष पारित किये गये और मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया, जिसके बाबत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार संबंधित सहायक कलेक्टर को प्राप्त है मगर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण भू-अभिलेख निरीक्षक डांगियावास की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जो सही नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि आराजी खसरा संख्या 76 का वास्तविक रकबा 35 बीघा का नियमन पेमा पुत्र रावत जाट के पक्ष में होने पर म्युटेशन संख्या 131 की कार्यवाही के बाद में तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबंदी चौसाला तहरीर करते समय सहवन से रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा दर्ज हो गया। विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या सात ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि आलौच्य मामले में वादी-अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत दावा पेश किया गया। उक्त वाद में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में न तो कोई उज्र एतराज किया गया है और न ही कोई अनुतोष चाहा गया है। इसी प्रकार रिकार्ड शुद्धि बाबत भी किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। भूमि अवाप्ति अथवा रिकार्ड शुद्धि बाबत पृथक से विधिक प्रकिया एवं क्षेत्राधिकार संबंधित कानून में स्पष्ट किये हुए है। स्वयं प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में अथवा रिकार्ड शुद्धि बाबत कोई काउण्टर क्लेम पेश किया गया है। इस प्रकार आलौच्य प्रकरण में मूल दावा मात्र वादग्रस्त आराजी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानानुसार विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना पाया जाता है।

निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत राजस्व वाद की कार्यवाही में दावे एवं जबाब दावे के आधार पर आवश्यक विवाधकों की रचना की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर तनकीवार साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष करते हुए निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य प्रकरण में निर्धारित विधिक प्रकिया का अनुसरण नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय की वाद-पत्रावली में पेज संख्या 14 पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2058-2061 ग्राम डांगियावास के अनुसार खसरा संख्या 75 का रकबा 0.16.00 (16 बिस्वा) एवं खसरा संख्या 76 का रकबा 35.1100 (35 बीघा 11 बिस्वा) दर्ज है। अन्य ऐसा कोई ठोस दस्तावेज अथवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रिकार्ड विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर इन खसरा नम्बरान का रकबा उक्त दर्ज रकबे से भिन्न होना प्रकट होता हो। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा मात्र भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर रकबे में भिन्नता मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना भी न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के उपरोक्त किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप, विधिसम्मतः एवं ठोस साक्ष्य पर आधारित नहीं पाये जाने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 मार्च 2024 खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के दावे एवं जबाबदावे के आधार पर निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार आवश्यक तनकियात कायम की जावे और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई कर तनकीवार समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जावे। उभयपक्षकारान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के समक्ष मूल वाद में कार्यवाही हेतु दिनांक 22 जुलाई 2024 को उपस्थित रहे। उक्त दिनांक 22 जुलाई 2024 तक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 75 रकबा 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी व खसरा संख्या 76 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांसी कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा 05 बिस्वांसी वाके ग्राम डांगियावास बाबत मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई 2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

16.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर